न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 28/2023

उनवान

भागचन्द बनाम राज0 सरकार

आवेदन पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पर आपत्ति बाबत

–: आदेश :– दिनांक :– २२.४.२५

अधिवक्ता प्रार्थी ने उकत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट के की स्थित अनुसार नही बनायी गयी है। पक्षकार की भूमि को गलत रूप से सडक में अवाप्त इन्द्राज किया गया मौके पर जमीन बची हुयी है। अतः मौका रिपोर्ट पुनः मंगाया जाना न्यायाहित में आवश्यक होने से आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे।
बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्को पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2305 रकबा 0.14 पर से मार्ग चाहा है। तथा अपने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 6 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 2305 में अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर आवागमन बाधित किया गया है। जिस हेतु रास्ते के लिये आवेदन पेश किया गया है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार "खसरा नम्बर 2305 राजमार्ग के नाम दर्ज है। प्रकरण में रास्ता पूर्व मे दर्ज होने के कारण प्रकरण धारा 251 ए के अन्तर्गत नही बनता है।" प्रकरण में जिस खसरा नम्बर से रास्ता चाहा गया है वह खसरा नमबर राजमार्ग के नाम अंकित है। उक्त खसरा नम्बर के आगे राजमार्ग की ही भूमि है। अतः प्रार्थी का खेत मार्ग से लगता हुआ है। मौके पर जमीन शेष होने अथवा गलत तरीके से अवाप्त हेतु प्रार्थी कों अलग से चाराजोही करनी चाहिये। मौका रिपोर्ट में कोई विपरित तथ्य नही होने से पुनः तलब किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 28 / 2023

उनवान

भागचन्द पुत्र रामदेव जाति गुर्जर निवासी श्रीनगर तहसील नसीराबाद
——— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,
——— अप्रार्थी :– जरियें राज. पैराकार

2. कमला,
3. गीता पुत्री रामदेव,
4. गोपी,
5. छोटू देवा,
6. प्रहलाद पुत्र रामदेव,
6. श्रवण पुत्री मांगू,
7. सायरी पत्नि रामदेव,
8. सांवरा पुत्र रामदेव,
9. सीता पुत्री रामदेव,
10. हरि पुत्र रामदेव,
11. हीरा पुत्री मांगू जाति गुर्जर निवासी मजरा बाडा श्रीनगर तहसील नसीराबाद,
12. शंकर पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी दांता तहसील व जिला अजमेर
—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 17.9.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2304 रकबा 0.31 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी सडक के हाल खसरा नम्बर 9370 / 2305 में से हाल खसरा नम्बर 2305 रकबा 0.14 सिवायचक भूमि [illegible] से पश्चिम दिशा में आवागमन करते है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई [illegible] प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बर में से 30 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर

मनन किया गया। ग्राम व पटवार मण्डल श्रीनगर तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 2304 रकबा 0.31 प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2305 रकबा 0.14 पर से मार्ग चाहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 6 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 2305 में अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर आवागमन बाधित किया गया है। जिस हेतु रास्ते के लिये आवेदन पेश किया गया है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार "खसरा नम्बर 2305 राजमार्ग के नाम दर्ज है। प्रकरण में रास्ता पूर्व मे दर्ज होने के कारण प्रकरण धारा 251 ए के अन्तर्गत नही बनता है।" प्रकरण में जिस खसरा नम्बर से रास्ता चाहा गया है वह खसरा नमबर राजमार्ग के नाम अंकित है। उक्त खसरा नम्बर के आगे राजमार्ग की ही भूमि है। अतः प्रार्थी का खेत मार्ग से लगता हुआ है। मौके पर जमीन शेष होने अथवा गलत तरीके से अवाप्त हेतु प्रार्थी को अलग से चाराजोही करनी चाहिये। राजमार्ग की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तो प्रार्थी को अतिक्रमी के विरूद्व पृथक से कार्यवाही करनी चाहिये। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार पूर्व में रास्ता विधमान होने पर नवीन रास्ता प्रदान नही किया जा सकता है। राजस्व अभिलेख व तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की भूमि राजमार्ग के खसरा नम्बर से लगती हुयी है। प्रकरण में प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अतः प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की तामीली आवश्यक नही है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:35 IST
Reason: SelfAttested